



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11032021-225790
CG-DL-E-11032021-225790

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1037]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 10, 2021/फाल्गुन 19, 1942

No. 1037]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 10, 2021/PHALGUNA 19, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2021

का.आ. 1125 (अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4680 दिनांक 23.12.2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में NH-211 (नया NH-52) के कि.मी. 320.640 से कि.मी. 376.000 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "08.01.2021" को "सकाळ" और "लोकमत टाइम्स" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में NH-211 के कि.मी. 320.640 से कि.मी. 376.000 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: औरंगाबाद			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी /हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: कन्नड				
	गांव का नाम: अंधानेर				
1	30	निजी	कृषीक	0.2	प्रिती रविराज जाधव ()
	गांव का नाम: बनशेंद्रा				
2	113	निजी	कृषीक	0.01	रामदास बाबुराव, रमेश बाबुराव, बाबू लक्ष्मण ()
3	113	निजी	कृषीक	0.05	गोकुळसिंग तोताराम राजपूत ()
4	113	निजी	कृषीक	0.001259	संतोष भिकन ताबा- सुभाष मोहिते १ गाळा ()
5	113	निजी	कृषीक	0.001259	संतोष भिकन ताबा- ज्ञानेश्वर वाल्मिक मोहिते १ गाळा ()
6	113	निजी	कृषीक	0.0393	संतोष भिकन, १ गाळा , १ बोरवेल सुधीर घुघे यांचा ()
7	113	निजी	कृषीक	0.002759	संतोष भिकन ताबा - उमाजी नाथाजी बोर्डे १ गाळा ()

8	113	निजी	कृषीक	0.0012	संतोष भिकन ताबा - शेख नजीम १ गाळा ()
9	113	निजी	कृषीक	0.002	रमेश बाबुराव नागरे ()
10	113	निजी	कृषीक	0.057	रामदास बाबुराव नागरे ()
11	113	निजी	कृषीक	0.015	रमेश बाबुराव नागरे, स्वप्नील रमेश, सुमित रमेश अपाक आई ताराबाई रमेश नागरे ()
गांव का नाम: हतनुर					
12	175	सरकारी	अकृषीक	0.03	इन्स्पेक्षण बंगला ()
13	247	निजी	कृषिक	0.0053	शिवाजी सांडू जाधव ()
14	247	निजी	कृषिक	0.008	लताबाई बाबुराव सोनवणे ()
15	247	निजी	कृषिक	0.016	शांताबाई भागीनाथ जाधव ()
16	247	निजी	कृषिक	0.0134	शेख समद शेख मजीद, शेख असद शेख मजीद ()
17	Road	सरकारी	अकृषिक	0.08	पांदन रस्ता ()
तालुक का नाम: खुलदाबाद					
गांव का नाम: गल्लेबोरगाव					
1	613	निजी	कृषीक	0.13	गजानन संपत खोसरे ()
2	618	निजी	कृषीक	0.05	अमोल, मयूर पिता शिवनाथ खोसरे ()
			कुल	0.712477	

[फा. सं. NHAI/PIU/AUR/2017/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2021

S.O. 1125(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O.4680 dated 23.12.2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956

(48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-211(New NH-52) on the stretch of land from Km. 320.640 to Km. 376.000 in the district of AURANGABAD in the state of MAHARASHTRA;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Sakal” and “Lokmat Times” both dated 08.01.2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-211 (New NH-52) in the stretch of land from Km. 320.640 to Km. 376.000 in the district of AURANGABAD in the State of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA			District: AURANGABAD		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Kannad				
	Village: Andhaner				
1	30	Private	Agriculture	0.2	Priti Raviraj Jadhav
	Village: Banshendra				
2	113	Private	Agriculture	0.01	Ramdas Baburao, Ramesh baburao, Babu Laxman
3	113	Private	Agriculture	0.05	Gokulsing Totaram Rajput
4	113	Private	Agriculture	0.001259	Santosh Bhikan TABA- Subhash Mohite 1 Shop
5	113	Private	Agriculture	0.001259	Santosh Bhikan TABA- Dnyaneshwar Walmik Mohite 1 Shop
6	113	Private	Agriculture	0.0393	Santosh Bhikan, 1 Borwell, 1 shop of Sudhir Ghughe
7	113	Private	Agriculture	0.002759	Santosh Bhikan TABA- Umaji Nathaji Borde 1 Shop
8	113	Private	Agriculture	0.0012	Santosh Bhikan TABA- Shekh Najim 1 Shop
9	113	Private	Agriculture	0.002	Ramesh baburao Nagare
10	113	Private	Agriculture	0.057	Ramdas Baburao Nagare

11	113	Private	Agriculture	0.015	Ramesh Baburao Nagare, Swapnil Ramesh, Symit Ramesh , APAK mother Tarabai Ramesh
Village: Hatnoor					
12	175	Government	Non-Agriculture	0.03	Inspection banglow
13	247	Private	Agriculture	0.0053	Shivaji Sandu Jadhav
14	247	Private	Agriculture	0.008	Latabai Baburao Sonawane
15	247	Private	Agriculture	0.016	Shantabai Bhaginath Jadhav
16	247	Private	Agriculture	0.0134	Shekh Samad Shekh Majid, Shekh Asad Shekh Majid
17	Road	Government	Non-Agriculture	0.08	Pandan Road
Taluk: Khuldabad					
Village: Galle Borgaon					
1	613	Private	Agriculture	0.13	Gajanan Sampat Khosre
2	618	Private	Agriculture	0.05	Amol , Mayur PITA Shivnath Khosre
			TOTAL	0.712477	

[F. No. NHAI/PIU/AUR/2017/3D]

RAJESH GUPTA, Director